न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, बज्जू, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी:– सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या:– 08/2023

श्री बंशीलाल पुत्र बरसिंगाराम जाति बिश्नोई निवासी चावण्डीया हाल चक 25 सी.डबल्यू.बी. तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

............अपीलाण्ट

बनाम

1.दी सैन्टल कॉपरेटिव बैंक शाखा जरिये मैनेजर बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर ।
2.राजकूमार पुत्र किशनाराम जाति बिश्नोई निवासी फुलासर छोटा तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
3.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बज्जू ।

..................रेस्पोडेंटगण

उपस्थित:–
1.श्री जालमसिंह पंवार एडवोकेट, अपीलाण्ट की ओर से।
2.दी सैन्टल कॉपरेटिव बैंक शाखा जरिये मैनेजर बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
3.रेस्पोडेंट संख्या 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3.पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू (बीकानेर)

:: निर्णय ::

दिनांक:– 10.2.2024

यह अपील अपीलांट की ओर से इन्तकाल संख्या 17 दिनांक 27.06.2019 चक 25 सीडब्लूबी जिसकी रूह से अपीलांट के धारण व कब्जा काश्त की भूमि का गलत तरिके से बैंक के नाम दर्ज कर इंतकाल अधिनस्थ न्यायालय ने तस्दीक किया गया, को निरस्त किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रस्तुत की गई है। अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादगत भूमि चक 25 सी.डबल्यू.बी. के मू0न0 167/59 के कि0न0 1ता25 मे 25 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से दिनांक 12.07.2015 को जरिये बैयनामा के क्रय की गई थी तथा उक्त पंजिकृत बैयनामा की पालना मे कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे इन्तकाल संख्या 136 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा अपीलाण्ट के नाम से दर्ज किया गया और दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर ढाणी कुण्ड आदि बनाकर निवास करता रहा है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने एक राय होकर तत्कालीन पटवारी से मिलिभगत करके रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने मौका देखे बिना ही रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को बैजा लाभ पंहूचाने की गर्ज से अपने पद का दूरूपयोग करके अपीलाण्ट के धारण की कृषि भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से ईन्तकाल संख्या 17 दिनांक 27.06.2019 को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष मे रहन नामा का अंकन राजस्व रिकॅार्ड मे करवा लिया गया जो कानून व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस संदर्भ मे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपने जबाब,बहस मे कथन किया की रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने हमारे समक्ष जो कागजात प्रस्तुत किये गये उसी के अनूसार हमने ऋण स्वीकृत कर दिया गया तथा बाद अपीलाण्ट के अपील प्रस्तूत करने पर हमे जानकारी हूई की रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने गलत एंव कूटरचित दस्तावेज प्रस्तूत कर सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत सीसीबीबी/ऋण/2019–20/2410 दिनांक 21.06.2019 को उक्त भूमि की सर्च रिर्पोट गलत तरीके से करवाकर अपने

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर

नाम की कृषि भूमि बताकर आठ लाख रूपये का ऋण स्वीकृत करवा लिया गया बाद जानकारी बैंक की ओर से रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के विरूद्व बैंक के समक्ष बदनियत से कुटरचित दस्तावैज पेश कर बैंक को धोखे मे रखकर उक्त भूमि अपनी बताकर धोखाधडी से ऋण प्राप्त करने का मूकदमा पुलिस थाना बज्जू मे दर्ज करवाया गया, जो एफआईआर नंबर 0004/08.01.2025 पर पंजिकुत किया गया की नकल प्रस्तुत की गई, तथा इस संबध मे वकील अपीलाण्ट ने दौराने बहस जबाब मे कथन किया की बैंक स्वंय यह स्वीकार कर रहा है कि वादगत भूमि पर ऋण फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेज से प्राप्त किया गया है तब ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट की भूमि पर बैंक सैन्टल कॉपरेटिव के नाम का लगा नोट गलत एंव गैर कानूनी है, क्योंकि अपीलाण्ट के नाम से उक्त बैंक मे कोई किसी तरह का ऋण बकाया नही है तथा उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम से बैयनामा दिनांक 24.06.2015 को उप पजियक बज्जू मे पंजिकृत किया गया है और उक्त बैयनामा की पालना मे तत्कालिन उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नंबर 03 मूख्यालय बज्जू के द्वारा अपीलाण्ट के नाम से चक 25 सी.डबल्यू.बी. के मू0न0 167/59 मे कि0न0 1ता25 मे 24 बीघा 05 बीस्वा कमाण्ड कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 136 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार का अंकन किया गया, तथा दिनांक 01.09.2015 को हल्का पटवारी चारणवाला ए के द्वारा पी–35 के क्रम संख्या 1530 पर दर्ज कर कृषि जोत की पास बुक जारी की गई, इस कारण नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 27.06.2019 कुटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी तरीके से स्वीकृत करवाया गया है, जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जालम सिंह पंवार उपस्थित। रेस्पोडेण्टान को जरिये नोटीस तलब किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 बावजूद नोटीस सूचना के अनुपस्थित होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी । स्टेट की ओर से पेरोकार राज उपस्थित।

पत्रावली मे उभपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज एंव प्रस्तूत जवाबी दस्तावेजो का परिशीलन किया एंव बहस के तर्को पर मनन किया गया सर्व प्रथम मियाद के बिन्दु पर चुंकि रेस्पोडेण्टान द्वारा कोई उज्र एंव एतराज पेश नही किये गये परन्तु अपील के साथ प्रस्तुत अलग से धारा 5 के प्रार्थना पत्र पेश है जिसके आधार पर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अतः पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की गई भूमि अपीलण्ट के धारण में होते हुए भी नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 27.06.2019 गलत एंव कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा भरा जाना प्रतीत हो रहा है। इस कारण अपील स्वीकार कर चक 25 सी.डबल्यू.बी. के नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 27.06.2019 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार राजस्व बज्जू को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के नाम से पंजीकृत बैयनामा व नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 15.07.2015 की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक ......10.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवरमल रैगर)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

क्रमांक :–
निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को पालनार्थ प्रेषित है।

दिनांक :–

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू